न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी: नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 154 / 2012 / जैसलमेर

अपीलांट

1. अलीशेर खां पुत्र मुब्बा खां जाति मुसलमान निवासी खुहड़ा तहसील पोकरण जिला जैसलमेर।
2. निहाल खां पुत्र मुब्बा खां
3. मेहराण खां पुत्र मुब्बा खां
4. मु. सैत बेवा मुब्बा खां जातियान मुसलमान निवासी रासला हाल निवासी अचला तहसील फतेहगढ़ जिला जैसलमेर।

रेस्पोडेंटगण

बनाम 1.राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार फतेहगढ़
2.स्व. अर्जुनसिंह पुत्र डुंगरसिंह के वारिसानः–
2/1सुजानसिंह पुत्र स्व. अर्जुनसिंह जाति राजपूत
2/2प्रागसिंह पुत्र स्व. अर्जुनसिंह जाति राजपूत निवासी अचला तहसील फतेहगढ़ जिला जैसलमेर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर फतेहगढ के राजस्व वाद संख्या 33/2010 बअनवान अलीशेर खां वगैरह बनाम सरकार वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.10.2012 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थित

1. वकील श्री अब्दुल रहमान मेहर अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री हाजी खां राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

निर्णय

दिनांकः– 21.06.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटगण ने अधीनस्थ न्यायालय में इस आश्य का एक वाद पेश किया कि अपीलांटगण के दादा कादरखां ने ग्राम नया अचला तहसील फतेहगढ़ के समरी खसरा संख्या 382 रकबा 115 बीघा दिनांक 19.09.1963 में जरिये रजिस्ट्री खरीदा, तब से कब्जा, काश्त, उपयोग, उपभोग चला आ रहा है। हल्का पटवारी ने नामान्तकरण नहीं भरा जिससे वक्त सैटलमेंट अपीलाधीन भूमि सिवायचक दर्ज कर दी गयी जबकि अपीलांटगण लगातार काबिज है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर पेश पंजीकृत बिकावनामा रिकार्ड पर होते हुए भी बिकावनामा में वक्त खरीद भूतपूर्व जागीरदार के नाम भूमि खातेदार के रूप में दर्ज होने के तथ्यों पर गौर किये बिना, बेचाननामा को नहीं मानने का कोई कारण दर्शित किये बिना अपीलाधीन आलोच्य निर्णय पारित किया गया। पत्रावली आये दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य की अनदेखी कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण के हितों पर कुठाराघात किया है। तनकीयात पर आयी साक्ष्य का

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

विधिवत विवेचन किये बिना, नही मानने का कोई कारण दर्शित किये बिना, महज चार लाईनों में ही विवेचन कर दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य का विवेचन किये बिना विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफा है जो काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांटगण के दादा कादरखां ने ग्राम नया अचला तहसील फतेहगढ़ के समरी खसरा संख्या 382 रकबा 115 बीघा दिनांक 19.09.1963 में जरिये रजिस्ट्री खरीदा, तब से कब्जा, काश्त, उपयोग, उपभोग चला आ रहा है। हल्का पटवारी ने नामान्तकरण नहीं भरा जिससे वक्त सैटलमेंट अपीलाधीन भूमि सिवायचक दर्ज कर दी गयी जबकि अपीलांटगण लगातार काबिज है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर पेश पंजीकृत बिकावनामा रिकार्ड पर होते हुए भी बिकावनामा में वक्त खरीद भूतपूर्व जागीरदार के नाम भूमि खातेदार के रूप में दर्ज होने के तथ्यों पर गौर किये बिना, बेचाननामा को नहीं मानने का कोई कारण दर्शित किये बिना अपीलाधीन आलोच्य निर्णय पारित किया गया। पत्रावली आये दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य की अनदेखी कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण के हितों पर कुठाराघात किया है। तनकीयात पर आयी साक्ष्य का विधिवत विवेचन किये बिना, नही मानने का कोई कारण दर्शित किये बिना, महज चार लाईनों में ही विवेचन कर दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य का विवेचन किये बिना विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफा हैं। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि समरी अंदाजिया थी। मौके पर जितनी भूमि पर रेस्पोडेंट का कब्जा था उतनी भूमि की खातेदारी रेस्पोडेंट को दी गई तथा शेष भूमि को सरकारी भूमि दर्ज कर दिया गया। सेटलमेंट विभाग द्वारा सर्वे करने के पश्चात अभिलेख को अंतिम रूप दिया गया। अभिलेख को अंतिम रूप देने से पूर्व आपतियां प्रस्तुत करने का पर्याप्त समय दिया गया किन्तु रेस्पोडेंट द्वारा कोई आपति प्रस्तुत नही की गई। इसलिए अब रेस्पोडेंट का इस भूमि पर कोई अधिकार नही है। भू–प्रबंध विभाग द्वारा जारी प्रक्रिया विधि के अनुरूप अपनाने के पश्चात भूमि को सरकारी घोषित किया है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेंट/वादीगण अतिक्रमी है एवं अतिक्रमी को राजकीय भूमि पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। समरी

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

खसरा संख्या से वर्तमान खसरा संख्या बने हो ऐसा भी प्रमाणित नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय मे वादीगण/अपीलांट ने एक दावा घोषणा बाबत पेश किया गया है वह एक पंजीबद्ध विक्रय विलेख पर आधारित है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में एक रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 22.09.1963 (EXP-1) उप पंजीयक जैसलमेर द्वारा पंजीबद्ध है जिसके अनुसार विक्रेता अर्जुनसिंह पुत्र डूंगरसिंह निवासी अचला तहसील जैसलमेर द्वारा बहक कादरखां पुत्र उबजिखान निवासी खड़डा तहसील पोकरण(अपीलांट के दादा) है जिसमें कथित वादग्रस्त भूमि ग्राम अचला खेत बाहले वाला खाता संख्या 01 खसरा संख्या 38 रकबा 115 बीघा का विक्रय साबित है। खसरा बंदोबस्त (समरी) ग्राम अचला संवत 2012(EXP-7) के अनुसार यह भूमि खसरा संख्या 38 रकबा 115 बीघा विक्रेता अर्जुनसिंह वल्द डूंगरसिंह की खातेदारी में थी जो क्रमिक रूप से जमाबंदी ग्राम अचला तहसील जैसलमेर संवत 2022–2025(EXP-2), 2026–2029(EXP-3) खसरा संख्या 38 रकबा 115 बीघा अर्जुनसिंह पुत्र डुंगरसिंह की खातेदारी अंकित है परन्तु ग्राम अचला के कम्प्रेटिव रजिस्टर संवत 2021 (EXP-11) के अवलोकन से यह साबित होता है कि समरी सेटलमेंट के खसरा संख्या 38 रकबा 115 बीघा अर्जुनसिंह के नाम दर्ज नहीं है। दावा कृत भूमि वर्तमान में ग्राम नया अचला में है जो जमाबंदी संवत 2065–2068(EXP-4) मुताबिक खसरा संख्या 216 रकबा 828.10 बीघा बंजर राजस्थान सरकार के खाते में सिवायचक दर्ज भूमि है। इस भूमि पर संवत 2050 से 2064 तक भिन्न–भिन्न वर्षों में यदाकदा अपीलांट/वादीगण में से किसी एक का अतिक्रमण रहा है जो प्रदर्श EXP-9 व EXP-10 मुताबिक है। केवल संवत 2067 में अपीलांट संख्या 2 व 3 तथा अपीलांट संख्या 1 के पुत्र अर्थात तीनों का क्रमशः 10, 10, 16 बीघा पर अतिक्रमण एक साथ अंकित है। अपीलांट का मुख्य कथन अपील मीमो और वाद में यह रहा है कि समरी खसरा संख्या 38 स्थाई बंदोबस्त के नये खसरा संख्या 216 (ग्राम नया अचला) व्यायम हुए जिसे गलती से सरकारी खाते में दर्ज कर दिया गया, परन्तु प्रतिवादी का जबावदावा के पद संख्या 9 अनुसार समरी बंदोबस्त में खसरा संख्या 38 ग्राम "मेहराजोत" में है। इस विवाद्यक का निर्धारण होकर इस पर निर्णय होना शेष है इसके लिए सुसंगत साक्ष्य की आवश्यकता है। इसी ऑब्जर्वेशन के आधार पर मामला रिमाण्ड किया जाना उचित है।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

अतः अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर फतेहगढ द्वारा राजस्व वाद संख्या 33/2010 बउनवान अलीशेर खां वगैरह बनाम सरकार वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.10.2012 को अपास्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय को मामला इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उपरोक्त ऑब्जरर्वेशन के परिप्रेक्ष्य में तनकी कायम कर उभयपक्ष को साक्ष्य का समुचित अवसर देकर गुणावगुण पर निर्णय पारित करे।

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर कैम्प जैसलमेर

यह आदेश आज दिनांक 21.06.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर कैम्प जैसलमेर

Scanned by CamScanner